फार्मेसी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम मे प्रवेश के नियम

छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अंर्तगत स्थापित फार्मेसी महाविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम की सीटों में प्रवेष हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते है–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ–

(क) ये नियम विश्वविद्यालय के फार्मेसी स्नातक प्रवेष नियम, 2016 कहलायेंगे।

(ख) सत्र 2019–20 मे बी फार्मेसी मे प्रवेश के लिए फार्मेसी स्नातक नियम 2016 मान्य होगा।

(ग) विश्वविद्यालय के फार्मेसी महाविद्यालयों की स्नातक पाठ्यक्रम की सीटों में प्रवेष, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

2. परिभाषायें– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हों,–

(क) ''प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है इन नियमों के अंतर्गत आयोजित प्रवेश परीक्षा,

(ख) ''एजेंसी'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत परीक्षा एजेंसी,

(ग) ''वास्तविक निवासी'' से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देष के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (प्रारूप–अनुसूचि–एक),

(घ) ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है इन चारों श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात्–''अनुसूचित जाति'',''अनुसूचित जनजाति'', ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' (गैर क्रीमीलेयर) तथा ''अनारक्षित'',

(ड) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तजन।

(च) ''सैनिक'' संवर्ग से अभिप्रेत है प्रतिरक्षा कार्मिकों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक तथा ऐसे प्रतिरक्षा कार्मिक जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों और जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हों अथवा वर्तमान में (परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को या उसके पूर्व की तिथि से) छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो, के पुत्र/पुत्री (प्रमाणीकरण का प्ररूप–अनुसूची–दो)।

(छ) ''स्वतंत्रता संग्रम सेनानी'' संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी, जिनके दादा–दादी अथवा नाना–नानी का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टोरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्रम सेनानियों की सूची में सम्मिलित है (प्रमाणीकरण का प्रारूप–अनुसूची–तीन)।

(ज) ''निःशक्तजन'' संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसा स्थायी निःशक्तजन, जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्व भागीदारी) अधिनियम,1995 (1996का सं. 1) की धारा 2 (झ) के अधीन परिभाषित शारीरिक रूप से निःशक्त की श्रेणी में आता हो।

(झ) ''बिना संवर्ग'' से अभिप्रेत है वे व्यक्ति, जो खण्ड 2 (ड.) में उल्लेखित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों।

(ञ) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है भारतीय फार्मेसी परिषद्।

(ट) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है विष्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित फार्मेसी महाविद्यालय।

(ठ) " विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर।

(ड) "कुलसचिव" से अभिप्रेत है कुलसचिव छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर।

(ढ)"राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।

(ण) "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत प्रवेष हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि में की गई प्रक्रिया, जिसमें अभ्यर्थी को आबंटन स्थल पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

3. सामान्यः—

(क) स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम/ प्रवेश परीक्षा, आबंटन प्रवेश, विश्वविद्यालय, भारत सरकार/राज्य सरकार/ महाविद्यालय की स्वायत्त सोसायटी के तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा षासित एवं विनियमित होंगे।

(ख) स्नातक पाठ्यक्रम, प्रवेश की तिथि से विश्वविद्यालय / भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम ह्योगें।

(ग) अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदक, प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरें एवं आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें, ऐसा करने में विफल होने पर, आवेदक, प्रवेश परीक्षा, आबंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे।

(घ) प्रत्येक अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ड) श शासन द्वारा समय–समय पर संबंधित महाविद्यालयों के लिए जारी किए गए सभी निर्देष लागू होंगे।

4. पात्रताः— केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो और जिसने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतक 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

तथा

(क) अभ्यर्थी ने अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिक एवं रसायन तथा गणित/जीव–विज्ञान में 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर उत्तीर्ण की हो। अनारक्षित वर्ग के लिये कम से कम 45 प्रतिषत एवं छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तरदायित्व होगा।

(ख) तीनों मुख्य विषयों में जैसेः– भौतिकी, रसायन एवं गणित/जीव–विज्ञान विषय में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में) पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ग) 12वीं में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

टीपः–

1. यदि वह संबंधित बोंर्ड के नियमानुसार यदि कृपांक (Grace) से भी उत्तीर्ण घोषित किया गया हो तो वह प्रवेश पात्र माना जायेगा। तथापि प्राप्तांक की गणना करते समय कृपांक (Grace) के अंक को नहीं जोड़ा जाएगा।
2. रजिस्ट्रार, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र क्रं. 14-/2015-PCI(A)/17504-19512,2015 के अनुसार बी./डी. फार्मेसी पाठ्क्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ओपन स्कूल से 10+2 वीं उत्तीर्ण भी प्रवेश के पात्र होंगे।

5. सीटो का आरक्षणः–

(क) प्रत्येक महाविद्यालय की कुल सीटों की कुल सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयेर) के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

(ख) सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत, निःशक्तजन संवर्ग हेतु 6 प्रतिशत एवं महिला संवर्ग हेतु 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।

टीपः– निःशक्तजन संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों को निम्नानुसार भरा जायेगाः–

(अ) सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगो की स्थाई लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इस प्रकार नहीं भरे गये सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निचले अंगो की स्थाई लोकोमोटर अशक्ततावाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ब) निम्नलिखित अशक्ततायें (निःशक्तता) पात्र नहीं हैः–

(1) ऊपरी अंग निःशक्तता,

(2) दृष्टिबाधित निःशक्तता,

(3) बधिरीय निःशक्तता,

(4) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक निशक्तजन,

(5) काउंसिलिंग के समय 3 माह से अधिक पुराना पात्रता प्रमाण पत्र (राज्य मेडिकलबोर्ड द्वारा जारी)